रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

न्यायालय ~~अतिरिक्त रेवेन्यु कमिश्नर उज्जैन केम्प मंदसौर म.प्र.~~

PBR/ निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2017/4557 प्र.क्र.– 11/16-17/

1. कांताबाई बेवा मांगुपुरी गोसाई उम्र 55 वर्ष, व्यवसाय कृषि
2. अनिल गिरी पिता मांगुपुरी गुसाई उम्र–24 वर्ष,

सभी व्यवसाय–कृषि, सभी निवासी–सेजपुरिया तहसील व जिला मंदसौर म.प्र. ———— प्रार्थीगण

बनाम

1. नंदराम पिता देवराम कुमावत, उम्र 40 वर्ष
2. झमकलाल पिता देवराम कुमावत, उम्र 37 वर्ष
3. कमलाबाई बेवा मांगीलाल जी कुम्हार
4. रेखाबाई पिता मांगुपुरी गुसाई उम्र–40 वर्ष

सभी निवासी–सेजपुरिया तहसील जिला मंदसौर ———— विपक्षीगण

//निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश दिनांक–25/10/2016 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जिला मंदसौर प्र.क. 32/निगरानी/ 2015–16 जिसके द्वारा न्यायालय तहसीलदार मंदसौर द्वारा प्र.क. 23–अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.7.2016 को यथावत रखा गया।

माननीय महोदय,

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर विकयपत्र दिनांक–12/06/2014 के आधार पर नामांतरण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया विपक्षी संख्या 3 ने इस नामांतरण बाबत् आपत्ति प्रस्तुत की यह नामांतरण प्रकरण न्यायालय तहसील में लम्बित है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा यह आपत्ति की गई है कि प्रार्थीगण ने भूमि विकय नहीं की है बल्कि रहन रखी है व विकयपत्र दिनांक 12/06/2014 को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 कुचको के परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर में प्रस्तुत किया है।

अनिलपुरी Advocate कान्ताबाई

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/4557

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह, निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	